संख्या-14/2023/603/तीस-4-2023-99/98

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2023

विषय :-खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों के परिवहन हेतु वाहन चालकों के सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जहां प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में सड़क यातायात का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है और मोटर गाड़िया प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गई है, वहां प्रदेश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं एवं इनमें मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी चिन्ताजनक बनी हुई है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के आलोक में आपके पत्र संख्या-817प्रावि0/2022-69प्रावि0/2022, दिनांक 28.12.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों के परिवहन हेतु वाहन चालकों के सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन यानों के परिवहन हेतु चालकों के ड्राईविंग लाइसेंस पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा 3 दिन के प्रशिक्षण के उपरान्त पृष्ठांकन किया जाता है।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9(1) में खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन यानों के परिवहन हेतु चालकों के ड्राइविंग लाइसेन्स पर पृष्ठांकन हेतु प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत् हैः-

Period of training		3 days
Place of training		At any institute recognised by the State Government
	Syllabus	
A.	**Defensive driving**	**Duration of training for A & B—1st and 2nd day**
	Questionnaire	
	Cause of accidents	
	Accidents, statistics	
	Driver's personal fitness	
	Car condition	
	Braking distance	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	Highway driving	
	Road/ Pedestrian crossing	
	Railway crossing	
	Adapting to weather	
	Head on collision	
	Rear end collision	
	Night driving	
	Films and discussion	
B.	**Advanced driving skills and training**	
	Discussion	
	Before starting	Checklist
		outside/below/near vehicle
		product side
		inside vehicle
	During driving	correct speed/gear
		signalling
		lane control
		overtaking/giving side
		speed limit/safe distance
		driving on slopes
	Before stopping	safe stopping place, signalling, road width, condition
	After stopping	preventing vehicle movement
		wheel clocks
		vehicle attendance
	Night driving	mandatory lighting requirements
		headlamp alignment
		use of dipped beam
	Field test/training	1 driver at a time
C.	**Product safety**	**Duration of training for (C) Third day**
	UN Panel	UN classification
		Hazchem Code
		Toxicity, flammability, other definitions
	Product information	Tremcards
		CIS/MSDS
		Importance of temperature
		pressure, level
		Explosive limits
		Knowledge about equipment
	Emergency procedure	Communication
		Spillage handling
		Use of PPE
		Fire fighting
		First Aid
		Toxic release control
		Protection of wells, rivers, lakes, etc.
		Use of protective equipment
		Knowledge about valves, etc.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रत्येक खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन हेतु प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 में वर्णित अवधि एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक रूप से प्रशिक्षण दिया जाना होगा, प्रशिक्षण अवधि 3 दिवस की होगी।

2. **<u>अनुज्ञप्ति धारक द्वारा पालन की जाने वाली सामान्य शर्तें</u>** :- अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

(1) अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के बगैर प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थान परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे संस्थान को वे सभी शर्तें पूर्ण करनी होगी जो नये प्रशिक्षण संस्थान के लिये निर्धारित है।

(2) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रमुख स्थान पर अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किये गये अनुदेशक के नाम एवं पते को प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षण कार्य में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 9 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पूर्ण पालन किया जायेगा।

(5) खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा माहवार एक रजिस्टर रखा जायेगा एवं इस रजिस्टर में प्रत्येक माह में प्रवेश दिये गये प्रशिक्षणार्थियों की सूची अंकित की जायेगी।

(6) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन अधिकतम 6 घण्टे होगी।

(7) एक प्रशिक्षक प्रतिदिन अधिकतम 40 प्रशिक्षु प्रशिक्षित कर सकेगा।

(8) प्रशिक्षण हेतु अवधि 3 दिन निर्धारित होगी, अर्थात एक प्रशिक्षक एक माह में अधिकतम 320 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सकेगा।

(9) संस्थान को फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(10) संस्थान ऐसे स्थान पर हो जहां भारी वाहनों के आवागमन की पर्याप्त सुविधा हो एवं स्थापित होने वाले संस्थान का परिसर का क्षेत्र न्यूनतम 200 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(11) संस्थान का बीमा कराना होगा।

(12) संस्थान सी.सी.टी.वी कैमरे से युक्त होगा, जिसकी रिकार्डिंग 03 माह तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(13) संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं का विवरण सदैव सुरक्षित रखा जायेगा।

(14) संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पंजिका, जिसमें प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षर कराये जायेंगे, सदैव सुरक्षित रखी जायेगी।

3. **<u>आवेदन हेतु अर्हताएं</u>** :- आवेदक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है, अर्थातः-

(क) शैक्षणिक योग्यता- दसवें स्तर या समकक्ष स्तर में उत्तीर्ण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) आवेदक का राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।

(ग) खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थान के संचालक की वित्तीय स्थिति स्कूल के नियमित संचालनार्थ सुदृढ़ होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संचालक के वित्तीय स्रोत स्कूल का अनुरक्षण बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हेतु रू0 50000/- की धरोहर राशि संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के नाम बंधक कराते हुए संलग्न करना होगा।

(घ) संस्थान हेतु न्यूनतम एक अनुदेशक नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा, आवेदक स्वयं भी अनुदेशक हो सकता है।

4. **<u>अनुदेशक की निम्न अर्हताएं होगी</u>** :-

(1) अच्छे चरित्र वाला होगा, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

(3) हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

(4) प्रशिक्षण संस्थान के संचालक/प्रशिक्षक को समय-समय पर विभाग द्वारा निर्धारित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(5) अनुदेशक की अनुज्ञप्ति में भार वाहन व खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) का पृष्ठांकन अनिवार्य होगा।

(6) केमिकल इंजिनियरिंग/पैट्रोलियम/मैकेनिकल/आटोमोबाईल्स/फायर सेफ्टी में डिप्लोमा/बी.टेक होना अनिवार्य होगा।

(7) फस्टएड में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(8) अनुदेशक द्वारा दिये जाने वाले तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही परिसंकटमय माल वाहनों में प्रदर्शित सांकेतिक चिन्हों के सम्बन्ध में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (लिखना/पढ़ना) प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. **<u>संस्थान के आवेदक के पास निम्नलिखित आधारभूत संरचनाएं आदि होना आवश्यक है</u>** :-

(1) स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर (प्रिंटर सहित) इत्यादि स्थापित होंगे।

(2) व्याख्यान कक्ष (न्यूनतम 40 व्यक्तियों हेतु) प्रोजेक्टर युक्त।

(3) पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल, चार्ट, उपकरण व अन्य हेतु कार्यशाला।

(4) पार्किंग।

(5) जनसुविधाएं।

खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों (Dangerous or Hazardous Goods) के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थान का परिसर संस्थान के संचालक के स्वामित्व में हो या किराये/लीज पर हो, किराये/लीज पर लिये जाने की दशा में किरायानामा/लीज की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

न्यूनतम अवधि 5 वर्ष होगी। संचालक द्वारा किरायानामा/लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (Registered) करवाना अनिवार्य होगा।

6. **<u>प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित उपकरण होना आवश्यक होगा</u> :-**

(1) खतरनाक पदार्थ एवं कैमिकल ले जाने वाले वाहनों की संरचना में प्रयुक्त विभिन्न एसम्बलीज का प्रदर्शन कटाउट के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु स्थापित होना चाहिए।

(2) उपरोक्त वाहनों के सर्विस एवं मैन्टेनेन्श में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए।

7. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 नियम 9 (1) में "प्लेस ऑफ ट्रेनिंग" के सम्बन्ध में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान होगा "at any institute recognised by the State government" नियम की व्यवस्था के अनुसार संस्थान की मान्यता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

8. खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा :-

"प्रारूप-डी0एच0-1"

(खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन यानों के चालन में शिक्षण देने का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र)

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अधोहस्ताक्षरी (नीचे हस्ताक्षर करने वाला) खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु प्रशिक्षण देने का कारोबार चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हैः-

1- संस्थान का नाम .....
2- आवेदक का पूरा नाम.....
3- का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री.....
4- पता- .....
5- स्थान जहाँ आवेदक कारोबार प्रारम्भ करना चाहता है.....
6- उपलब्ध अवसंरचना का विवरण .....
7- उपलब्ध उपकरण का विवरण (सभी की सूची, फोटो सहित संलग्न करें).....
8- पाठयक्रम अनुसार प्रशिक्षण सामग्री का विवरण .....
(सूची संलग्न कर)

9- शिक्षण देने के लिए नियुक्त किये गए अनुदेशक का नाम व अर्हताए

1-.....
2-.....
3-.....

10- मैने.....रूपये की फीस का संदाय कर दिया है.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर/
संस्थान की मुहर

प्रशिक्षण संस्थान की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा :-

"प्रारूप-डी0एच0-2"

(खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन यानों के चालन में प्रशिक्षण देने का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र)

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

अधोहस्ताक्षरी (नीचे हस्ताक्षर करने वाला) खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु प्रशिक्षण देने का कारोबार चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हैः-

1- संस्थान का नाम .....
2- आवेदक का पूरा नाम.....
3- का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री.....
4- पता- .....
5- कारोबार का स्थान .....
6- विद्यमान अनुज्ञप्ति संख्या-.....
7- जारी किये जाने की तिथि.....
8- मान्यता की अवधि.....
9- क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया है, यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण.....
.....
10- क्या पहले की अनुज्ञप्ति किसी कारणवश निलम्बित/रद्द की गयी थी, उसके ब्यौरे जैसे कि निलम्बन की तारीख, ऐसे निलम्बन/रद्दीकरण के कारण, निलम्बन/रद्दीकरण के प्रतिसंहृत की तिथि.....
.....
11- मैंने.....रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर/
संस्थान की मुहर

9. निर्धारित शुल्क का विवरणः-

आवेदन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क	-	10,000 रू0
द्वितीय प्रति जारी करने का शुल्क	-	5,000 रू0
संस्थान की मान्यता की अवधि	-	05 वर्ष
(मान्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण कराना होगा)		
नवीनीकरण की अवधि	-	05 वर्ष
(वैधता समाप्ति से एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा)		
आवेदन शुल्क सम्बन्धित जनपद के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।		

10. खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता जारी करने हेतु आवेदन परिवहन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आयुक्त कार्यालय में प्राप्त होने पर उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) को संस्तुति प्रदान करने हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

11. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) द्वारा परिक्षेत्र के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा संस्थान का निरीक्षण कराया जायेगा, निरीक्षण सही पाये जाने पर उनके द्वारा संस्थान की मान्यता हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय को अपनी संस्तुति दी जायेगी। जिस परिक्षेत्र में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) तैनात नहीं है वहाँ निरीक्षण जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) व सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

तदोपरान्त परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुति सहित खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

12. समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थान को शासन द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने हेतु अधिसूचित करने के पश्चात निम्नवत् प्रारूप पर सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगीः-

Form of licence for the establishment of a dangerous or hazardous goods institute

Licence No. ……

Licence is hereby granted for imparting instructions in driving of dangerous or hazardous goods vehicles by…….....
.....(Name and address of the institute)…….....
……
This Licence is Valid From …… to ……

Dated …… DTC (Zone)/Licencing Authority

This Licence is hereby renewed From ……..…… to ……

Dated …… DTC (Zone)/Licencing Authority

13. संस्थान द्वारा 03 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त प्रशिक्षु को निम्नवत् प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा:-

(खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन यानों के चालन हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान द्वारा जारी किया गया चालन-प्रमाण-पत्र)

प्रमाण पत्र संख्या .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो..... निवासी.....के पुत्र/की पत्नी/पुत्री है, इस स्कूल में.....को भर्ती किए गए थे/की गई थी और उसका नाम हमारे रजिस्टर में क्रम संख्या.....के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और उन्होंने.....से.....तक की अवधि के लिए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 में खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन के लिये विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण क्रम संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है।

मै उसके/उसकी शारीरिक उपयुक्तता और जिम्मेदारी के भाव से सन्तुष्ट हूँ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हस्ताक्षर..... दिनांक ..... नाम और पद..... ड्राइविंग स्कूल का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या और उसके जारी किए जाने की तिथि के साथ

14. संस्थान द्वारा जारी किये जाने वाले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का विवरण (प्रमाण पत्र क्रमांक 0001 से .... तक) जारी करने से पूर्व परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराये जाएंगे। परिवहन आयुक्त द्वारा उक्त प्रमाण पत्र का विवरण सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान को प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का 75 प्रतिशत उपभोग करने के विवरण के साथ नए क्रमांक के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संस्थान परिवहन आयुक्त को आवेदन करेगा।

15. खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों ¼Dangerous or Hazardous Goods½ के परिवहन हेतु वाहन चालकों के सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण वर्ष में एक बार संबंधित परिक्षेत्र में तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) अथवा जिस परिक्षेत्र में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) तैनात नहीं है, वहाँ निरीक्षण जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) व सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा किया जा सकेगा। निरीक्षण रिपोर्ट अनुज्ञप्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण संस्थान के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत अथवा संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत कार्य करने/अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त होती है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण कराया जा सकता है।

16. अनुज्ञप्ति निलम्बित/निरस्त करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्तिः-

(1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, अपनी संतुष्टि के अनुसार अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसको जारी की गयी अनुज्ञप्ति को निलम्बित/निरस्त कर सकता है, यदि वह-

1. पूर्वोक्त नियम, 1989 के नियम 9 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुपालन करने में असफल रहा है, या
2. इस स्कीम में वर्णित किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है, या
3. नियम, 1989 के नियम 9 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को अनुदेश देने में असफल रहा है, या
4. निर्धारित संख्या से अधिक प्रमाण पत्र जारी करता है, या

(2) यदि अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा निरीक्षण में पायी गयी कमियों के कारण अनुज्ञप्ति को निलम्बित किया जाता है और अनुज्ञप्ति के निलम्बन के सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर निरीक्षण में पायी गयी कमी को ठीक करा लेता है तो अनुज्ञप्ति अधिकारी संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति के निलम्बन को समाप्त कर सकता है, लेकिन बाद में पुनः निरीक्षण के समय समान प्रकार की कमी पायी जाती है, तो नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) यदि अनुज्ञप्ति नियम 9 के अधीन निलम्बित या निरस्त किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति उसके धारक के द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समर्पित किया जायेगा एवं इस निलम्बन एवं निरस्ति की अवधि में किसी प्रकार का प्रशिक्षण अथवा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

17. इस स्कीम में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी नियम, 1989 के नियम 9 के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से सम्बन्धित सभी प्राविधान इस स्कीम के अन्तर्गत भी लागू होंगे।

3- कृपया खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों के परिवहन के लिये वाहन चालकों के सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या-14/2023/603(1)/तीस-4-2023-99/98तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन/प्रशासन/राजस्व), उ0प्र0।
2- समस्त उप परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।